MR. CHAIRMAN: Shri Ramji Lal.

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Sir, I want your protection. I would like to know whether the Governmen considers it illegal or not.

श्री रामजी लाल: माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर के दूसरे भाग में यह कहा है कि "एशियासेट" के ट्रांसपोंडर की उपलब्धता से हमारी आवश्यकताओं को बेहतर रूप से पूरा करने में मदद मिलेगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस ट्रांसपोंडर के आने से भारत के दूरदर्शन का स्तर दूसरे डवलप्ड कंट्रीज के बराबर हो जाएगा और यह योजना कब तक स्वीकृत की जाएगी?

SHRI K. P. SINGH DEO: It is very difficult to say about the time limit because negotiations are on. If negotiations can be finalised as quickly as possible, we will be able to get it soon.

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

क्रेडिट कार्ड धारकों से ब्याज लिया जाना

*284. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल :**
डा० बापू कालदाते :

क्या **वित्त** मंत्री 23 फरवरी, 1993 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1190 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड धारकों से 30 प्रतिशत ब्याज लिया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि क्रेडिट कार्ड खो जाने की स्थिति में कई बैंक अगले 24 घंटे तक के व्यवहारों को शामिल करते हैं जबकि कुछ बैंक 30 दिनों तक की जिम्मेदारी ग्राहकों पर डालते हैं;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में निर्धारित शर्तों में समानता लाने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री डा. अनवर अहमद : (क) से (घ) राष्ट्रीयकृत बैंक सामान्यतः अदत्त देयताओं के लिए कार्ड धारकों से 2% मासिक की दर से सेवा प्रभार लेते हैं। तथापि कुछ बैंक 2.5 प्रतिशत मासिक प्रभार लेते हैं।

आन्ध्र बैंक, बैंक आफ इंडिया, बैंक आफ बड़ौदा और सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कार्ड के खो जाने की रिपोर्ट प्राप्त होने से 30 दिनों तक खोया हुआ कार्ड प्राप्त करने वाले द्वारा किए गए उसके सभी उपयोगों के लिए मूलकार्ड धारक उत्तरदायी होगा। केनरा बैंक केनकार्ड योजना के मामले में जब तक बैंक को ऐसी सूचना लिखित रूप में नहीं मिल जाती है, खोये हुए या चोरी गए कार्ड से की गई किसी भी खरीद के लिए कार्डधारक जिम्मेदार होगा।

क्रेडिट कार्ड योजनाओं में एकरूपता लाने के लिए मार्गनिर्देश जारी करने के बारे में कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

Navigational facilities at Airports

*285. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether it is a fact that many

airports lack navigational facilities;

(b) whether it is also a fact that many airfields under the National Airports Atuhority of India have no air traffic due to lack of such facilities;

(c) if so, what are the details thereof; and

(d) what measures Government propose to take to ensure safety at such airfields?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI GHULAM NABI AZAD): (a) to (d) While airports having operation of commercial air services are equipped with navigational facilities, progressive modernisation is required keeping in view the need for more efficient operation of air sirservices. A programme has been drawn up to modernise air traffic services and provide better landing and navigational aids at airports having scheduled air transport services.

A list of aerodromes of National Airports Authority (NAA) with no air traffic service, is attached as statement *(See below)* National Airports Authority has not provided air traffic service at these aerodromes as there is no operation of commercial air service at those aerodromes.

Statement

S. No.	Station
01	Akola
02	Ballurghat
03	Bilaspur
04	Chakulia
05	Cuddapah
06	Deesa
07	Donakonda
08	Gaya
09	Hassan
10.	Hubli
11.	Jhansi
12.	Jharsuguda
13.	Jogbani
14.	Kamalpur
15.	Kailashahr
16.	Khandwa
17.	Khowai
18.	Kota
19.	Lalitpur
20.	Muzaffarpur
21.	Malda
22.	Mysore
23.	Panna
24.	Passighat
25.	Raxaul
26.	Rupsi
27.	Salem
28.	Satna
29.	Shella
30.	Sholapur
31.	Tanjore
32.	Vellore
33.	Warrangal

Implementation of presumptive tax Scheme

*286. DR. YELAMANCHILI SIVAJI:

SHRI S. MADHAVAN:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what is the number of new assessees who have taken advantage of section 115K of the Finance Act, 1992